मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

- विजयवर्गीय किसी कार्यक्रम में नहीं होंगे शामिल
- राज्यपाल भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में लेंगे हिस्सा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 जनवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर उज्जैन में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, वहीं विधानसभा अध्यक्ष ग्वालियर तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे.

राज्य स्तरीय मुख्य समारोह राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में होगा, जिसमें राज्यपाल मंगुभाई पटेल हिस्सा लेंगे. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल सागर में ध्वज फहराएंगे. राज्य सरकार ने बुधवार को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के लिये जिले तय कर दिये हैं, कि कौन मंत्री कहां ध्वज फहराएंगे. इस सूची में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल नहीं है, बताया जा रहा है कि उनके किसी पारिवारिक मित्र के यहां किसी परिजन के निधन के कारण वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे. हांलाकि गणतंत्र दिवस समारोह में किसी जिला मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है. 23 जिले ऐसे हैं, जहां किसी मंत्री के बजाय कलेक्टर ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे. इस दौरान वे मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी करेंगे.

कौन कहां फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

कुंवर विजय शाह –	रतलाम	प्रद्युम्न सिंह तोमर –	शिवपुरी
प्रहलाद पटेल –	रीवा	राकेश शुक्ला –	अशोकनगर
राकेश सिंह –	छिंदवाड़ा	चेतन्य काश्यप –	राजगढ़
करण सिंह वर्मा –	सिवनी	इंदर सिंह परमार –	दमोह
उदयप्रताप सिंह –	कटनी	कृष्णा गौर –	सीहोर
संपतिया उईके –	जबलपुर	धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी –	खंडवा
तुलसीराम सिलावट –	बुरहानपुर	दिलीप जायसवाल –	मंडला
एदलसिंह कंषाना –	दतिया	गौतम टेटवाल –	बड़वानी
सुश्री निर्मला भूरिया –	नीमच	लखन सिंह पटेल–	विदिशा
गोविन्द सिंह राजपूत –	गुना	नारायण सिंह पंवार –	रायसेन
विश्वास सारंग–	खरगौन	नरेन्द्र शिवाजी पटेल –	नर्मदापुरम
नारायण सिंह कुशवाह –	शाजापुर	प्रतिमा बागरी –	डिंडोरी
नागर सिंह चौहान –	आगर–मालवा	दिलीप अहिरवार –	अनूपपुर
		राधा सिंह –	मैहर

इन जिलों में कलेक्टर फहराएंगे ध्वज

देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, मुरैना, मंदसौर, श्योपुर, भिंड, सीधी, सतना, मऊगंज, शहडोल, उमरिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, बैतूल, हरदा, सिंगरौली, नरसिंहपुर, बालाघाट और पांढुर्ना.

राजस्थान एसटीएफ की आरकेडीएफ पर कार्रवाई

भोपाल. आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की गांधीनगर और कोलार शाखाओं में बुधवार को राजस्थान पुलिस की एसटीएफ ने सर्च ऑपरेशन किया. इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी के संचालक सुनील कपूर के निवास पर भी एसटीएफ पहुंची. यह कार्रवाई फर्जी मार्कशीट व शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े मामले में की गयी. सूत्रों के अनुसार एसटीएफ की तीन टीमों ने एक साथ अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की. कार्रवाई की सूचना स्थानीय पुलिस को पूर्व में नहीं दी गई. इस बीच यूनिवर्सिटी परिसर का मुख्य गेट बंद रखा गया. बताया गया है कि रिकॉर्ड, फाइलें व शैक्षणिक दस्तावेज टीमों ने खंगाले. एसटीएफ की ओर से कार्रवाई को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

दूषित पानी से एक और मौत, आंकड़ा 25 पहुंचा

इंदौर,21 जनवरी. भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली जलजनित बीमारी ने एक और जान ले ली. इलाज के दौरान एक ई-रिक्शा चालक की मौत के बाद इस मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है. लगातार हो रही मौतों से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है.

भागीरथपुरा निवासी 51 वर्षीय ई-रिक्शा चालक हेमंत गायकवाड़ 22 दिसंबर को दूषित पानी पीने के बाद अचानक बीमार पड़ गए थे. उल्टी दस्त की शिकायत पर उन्हें परदेशीपुरा स्थित वर्मा नर्सिंग होम में भर्ती कराया था. इलाज के बाद 28 दिसंबर को हालत में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गई, लेकिन घर लौटने के कुछ दिन बाद उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई. परिजनों का कहना हैं कि हालत गंभीर होने पर 7 जनवरी को उन्हें अरविंदो अस्पताल रेफर किया गया, जहां कई दिनों तक इलाज चला. बावजूद इसके मंगलवार देर रात करीब तीन बजे उनकी मौत हो गई. अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मृतक पहले से सेल कार्सिनोमा कैंसर और किडनी की बीमारी से भी पीड़ित थे, हालांकि उन्हें गंभीर उल्टी दस्त की शिकायत के चलते भर्ती किया था.

हेमंत परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे. उनके परिवार में चार बेटियां—21 वर्षीय रिया, 20 वर्षीय जिया, 16 वर्षीय खुशबू और 12 वर्षीय मनाली हैं. मृतक की बेटी जिया ने बताया कि पहले 24 दिसंबर को वर्मा नर्सिंग होम में भर्ती कराया था, छुट्टी के बाद दोबारा तबीयत बिगड़ी और 8 जनवरी को अरविंदो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई.

स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया से मौत को नकारा

इधर स्वास्थ्य विभाग ने दूषित पानी से 25वीं मौत के दावे को गलत बताया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हासानी के अनुसार भागीरथपुरा निवासी जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसकी मौत डायरिया से नहीं बल्कि कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट से हुई है. मृतक पहले से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित था और अरविन्दो अस्पताल में उपचाररत था. विभाग का दावा है कि वर्तमान में डायरिया से प्रभावित कोई भी मरीज गंभीर स्थिति में नहीं है और अस्पतालों में भर्ती मरीज अन्य बीमारियों का निःशुल्क उपचार करा रहे हैं.

हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करने पर संयुक्त संचालक निलंबित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 21 जनवरी. नगरीय विकास एवं आवास विभाग आयुक्त संकेत भोंडवे द्वारा नर्मदापुरम संभाग में पदस्थ संयुक्त संचालक राधेश्याम मण्डलोई को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना के प्रकरण में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

आदेशानुसार रिट याचिका क्रमांक 23618/2025 दुर्गा सिंह चंदेल विरुद्ध मप्र शासन एवं अन्य में विभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में मण्डलोई को नामित किया गया था. उक्त प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष विभागीय जवाबदावा निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत किया जाना था, किंतु मण्डलोई द्वारा समय-सीमा में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया. निलंबन अवधि के दौरान मण्डलोई का मुख्यालय, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल निर्धारित किया गया है. आयुक्त भोंडवे ने कहा कि संबंधित अधिकारी द्वारा किया गया कृत्य शासकीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. शासन द्वारा न्यायालयीन निर्देशों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.

रेत चोरी पर करारा प्रहार : दो वाहनों की जप्ती, चालकों पर अपराध दर्ज

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 21 जनवरी। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ जियावन पुलिस ने एक ही दिन में दो बड़ी कार्रवाइयाँ कर रेत माफिया पर करारा प्रहार किया है। अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने अवैध रेत से भरे एक हाईवा और एक टिपर को जप्त कर दोनों चालकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है।

बता दें कि पहली कार्रवाई थाना प्रभारी के निर्देश पर चौराहाड मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान की गई। जियावान की ओर से आ रहे हाईवा क्रमांक एमपी 53 जेडसी 2556 को रोककर जांच की गई तो चालक कोई वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने गवाहों के समक्ष हाईवा को अवैध रेत सहित जप्त कर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा एवं खान एवं खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। वहीं दूसरी कार्रवाई ढोंगा मोड़ के जियावान तिराहा के पास की गई, जहां सूचना पर पहुंचे पुलिस दल ने टिपर क्रमांक एमपी 53 जेडीई 3024 को अवैध रेत सहित पकड़ा। जहां चालक भी परिवहन संबंधी दस्तावेज नहीं दिखा सका। दोनों मामलों में पुलिस ने विधिसम्मत कार्रवाई कर जप्त वाहन थाना परिसर में खड़े कराए और विवेचना प्रारंभ कर दी है।

ग्राम विकास प्रफुटन समिति घोघरा ने किया ग्रामोदय से अभ्युदय कार्यक्रम

चितरंगी, म.प्र. जन अभियान परिषद सिंगरौली जिला समन्वयक राज कुमार विश्वकर्मा व ब्लाक समन्वयक विश्वनाथ रैदास के मार्गदर्शन के साथ-साथ नवांकुर संस्था केपी बैस सेवा समिति सेक्टर घोघरा के अंतर्गत ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति घोघरा द्वारा ग्रामोदय से अभ्यूदय अभियान का शुभारम्भ ग्राम पंचायत भवन घोघरा में संपन्न हुआ, जिसमें ग्रामीणों को समिति के माध्यम से हितलाभ और जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक किया गया। इस दौरान गांव के प्रबुद्धजन ग्रामीण जन रहे, विशेष रूप से प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष संगीता कोल, कविता देवी कोल, अनिल नाई, बाबूलाल पनिका, सकुंतला साकेत, जयमाला देवी साकेत, दसोदिया पनिका, अवधेश पाण्डेय, राम सूरत साकेत सहित अन्य युवा ग्रामीण, महिला मौजूद रही, जिसमे संगीता कोल द्वारा ग्रामीण से कहा गया की आप सभी के हितलाभ और शासन की योजनाओं के बारे में जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए ग्राम विकास, प्रस्फुटन समिति हमेशा आप सभी के साथ मौजूद रहेगी और आप सभी के विकास कार्य के लिए सदैव तत्पर्य रहेगी।

मोबाइल हैकरो से रहे सावधान

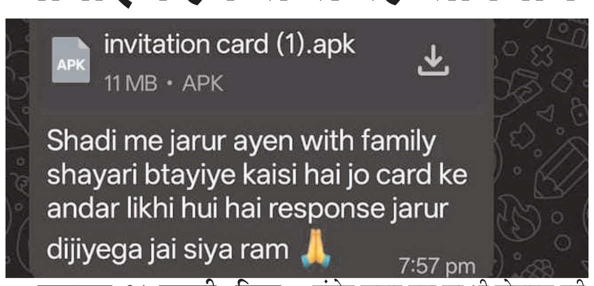

चाकघाट 21 जनवरी, विगत दिनांक 18 जनवरी 2026 को हमारे स्थानीय समाचार विक्रेता संतोष कुमार गुप्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप के जरिए दोपहर लगभग 1. 00 बजे एक मैसेज शादी में जरूर आए% और एपीके फाइल के रूप में इनविटेशन कार्ड आया.

उस फाइल को ओपन करते ही संतोष कुमार गुप्ता से जुड़े समस्त व्हाट्सएप ग्रुप एवं कॉन्टैक्ट्स के पास यही मैसेज अपने आप ही सेंड हो गया। जिन व्यक्तियों ने इस इन्विटेशन कार्ड के अवैध एपीके को ओपन किया तो उनका मोबाइल सेट हैक हो गया और स्वत: संतोष कुमार गुप्ता का भी मोबाइल पूरी तरह हैक हो गया । साइबर क्राइम करने वालों ने अनेकों प्रकार के तरीके ईजाद किए हैं किंतु इस पर कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है। हालांकि संतोष कुमार गुप्ता ने तत्काल साइबर सेल में ऑनलाइन अपनी प्राथिमिकी (स्र.द्ध.क्र) दर्ज कर दि एवं सरकार द्वारा बताए गए सुरक्षा उपाय अपनाया।समस्त मोबाइल उपभोक्ताओं से अपील है कि बिना जानकारी के किसी प्रकार के अवैध लिंक(फाइल) को ना खोले और ना ही कोई छेड़छाड़ करें। उसे तुरंत डिलीट करें और होने वाली असुविधा से खुद बचे एवं अन्य लोगो को भी अवैध लिंक से बचने हेतु प्रेरित करे।

कच्चे मकान की दीवार तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार

जियावन पुलिस की त्वरित कार्रवाई, तीन आरोपी सलाखों के पीछे

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 21 जनवरी। जियावन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनगढ़ में कच्चे मकान की दीवार तोड़कर चोरी करने वाले आरोपियों को जियावन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई आज दिन बुधवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार की गई, जिसमें पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

पुलिस के अनुसार धारा 331(4), 305(डी) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। घटना 12-13 जनवरी की दरमियानी रात की है, जब ग्राम सोनगढ़ निवासी फरियादी के कच्चे मकान की दीवार तोड़कर अज्ञात आरोपियों ने घर में प्रवेश किया और बड़ी मात्रा में कीमती सामान चोरी कर लिया। चोरी गए सामान में चांदी के पायल, सोने का झुमका, बर्तन, कपड़े, अनाज सहित करीब 30 हजार रुपये कीमत का घरेलू सामान शामिल था।

13 जनवरी को फरियादी द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास पूछताछ एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदेहियों की पहचान की। जांच में सामने आया कि संदीप कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम छंदना, हीरालाल बसोर निवासी पिपरा एवं सुनील कुमार बसोर निवासी देवर-छंदना को घटना के समय क्षेत्र में देखा गया था। पुलिस ने घेराबंदी कर पहले संदीप कुमार को 18 जनवरी को गिरफ्तार किया। पूछतांछ में उसने चोरी करना स्वीकार किया और अन्य दोनों साथियों के नाम उजागर किए। इसके बाद 19 जनवरी को सुनील कुमार बसोर एवं हीरालाल बसोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों से अलग-अलग पूछतांछ की गई, जिसमें उन्होंने चोरी की वारदात स्वीकार की। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल बैढ़न भेज दिया गया है। उक्त कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार, निरीक्षक शेषनारायण दुबे, उनि रामजी त्रिपाठी, प्रआर विजय दोहरे एवं आर लोकेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

सड़क हादसे में विवेक मिश्रा का असामयिक निधन

- संगठन व समाज को गहरा आघात

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 21 जनवरी । देवसर खंड के खंड कार्यवाह एवं ग्राम मजौना देवसर निवासी शिवनाथ मिश्रा के सुपुत्र तथा चुरहट खंड के खंड विस्तारक विवेक मिश्रा का सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन अत्यंत पीड़ादायक और हृदय विदारक है।

उनके अचानक चले जाने की खबर से पूरे संगठन, क्षेत्र और समाज में शोक की लहर दौड़ गई। मिलनसार स्वभाव, कर्मठता और संगठन के प्रति निष्ठा के लिए पहचाने जाने वाले विवेक मिश्रा युवाओं के बीच प्रेरणा का स्रोत थे। वे संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन में सदैव अग्रणी रहते थे और सामाजिक कार्यों में भी उनकी सक्रिय सहभागिता रही। उनके निधन को संगठन के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों ने गहरा शोक व्यक्त किया। शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा गया कि विवेक मिश्रा का जीवन समर्पण, अनुशासन और सेवा भावना का उदाहरण था। उनके द्वारा किए गए कार्यों और योगदान को सदैव स्मरण रखा जाएगा। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। क्षेत्रवासियों ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

गंगा स्नान करने गए इधर चोरों ने किया हाथ साफ

सिरमौर 21 जनवरी, थाना सिरमौर से. लगभग 600मीटर की दूरी मे नगर परिषद सिरमौर अंतर्गत वार्ड क्रमांक 11दीपक कुमार पांडेय नें भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ प्रांतीय मुख्य महासचिव/ब्यूरो चीफ बीरेंद्र प्रसाद. मिश्र सेरूबरू. होते हुए बताया की मै और मेरा पूरा परिवार गंगा स्नान करने दिनांक 5.1.2026 को 3.00 बजे भोर में गंगा स्नान करने के लिए गए हुए थे .

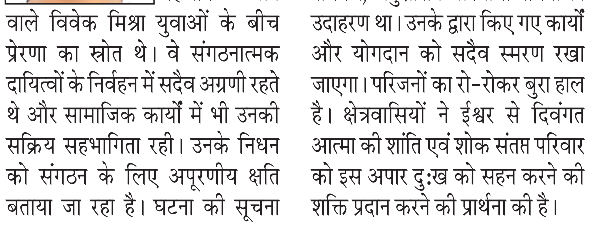

जब वहां से शाम को घर लौटे तो घर के गेट में कुंडली लगी थी ताला नहीं लगाने को भूल गए थे मेरे घर में काम चल रहा था मिस्त्री और मजदूर काम कर रहे थे जब मैं मजदूर और स्त्रियों से पूछा कि मेरे इस दीवान में रानी हार कंगन झुमका मैथ्यू बेदी लेडिस अंगूठी दो जेंट्स अंगूठी नथिया दो ना मंगलसूत्र एकनाथ पाव की पजेहर एक नाग कमरबंद दो ना पायल दो सेट विद्या एक चांदी का चैन तीन लेकर हाथ का चूड़ा लड़की का पायल एक जुड़वा आज कई आभूषण करीबन लगभग 9 10 टोला के आसपास सामान रखा हुआ था तो किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चुरा लिया गया है क्या आप लोगों ने देखा है आप लोग कब तक काम में लग रहे उनका कहना है कि मैं नहीं देखाआश्चर्य की बात यह होती है कि घर में काम लगा हो और चोरी हो गई तब से लेकर और जुदाई करने वाले मिस्त्री काम में भी नहीं आ रहे हैं हमने दिनांक 17 /01/2026 को थाना सिरमौर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया रिपोर्ट लेट दर्ज करने का कारण यह हुआ कि हम लोग समान को देखा नहीं था जैसे ही मेरी मेरी पत्नी दीवान बेड को खोल तो 9 10 लाख के गने गोल थे मैं थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया पुलिस निरीक्षण करने आई थी लेकिन आज तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई उधर पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है पता लगाया जा रहा है जल्दी चोरों को शिकंजा में कसा जाएगा दीपक कुमार पांडे ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से गुहार लगाया है की अति शीघ्र चोरों को पड़कर मेरे सामग्री जप्त कर दिलाए जाने का कष्ट करेंगे इतना ही नहीं जब मीडिया ने दीपक पांडे से पूछा कि आप इतना सामान इकट्ठा करके क्यों रखे थे अपने घर में ताला बंद क्यों नहींकिये दीपक पांडे का कहना हुआ कि मैं ताला बंद करने को जल्दी जल्दी. मे. भूल गए थे अपनी बहन की शादी करना था जिस कारण से सामान्य एकत्रित कर रहा था हम लोग इस समय बहुत ही परेशान है देखना दिलचस्प होगा कि सामग्री मिलती है कर मिलते हैं या नहीं इस समय सिरमौर नगर में काफी चोरी हो रही है चोरों ने अपनाधावा बोल दिया है

नाम सुधार सूचना

सूचित किया जाता है कि मेरा नाम IMTIYAZ AHMED मेरे मार्कशीट मे लिखा है। जबकी मेरा सही नाम IMTIYAZ AHMAD SIDDIQUI है जो सभी दस्तावेज मे दर्ज है मै अब IMTIYAZ AHMAD SIDDIQUI नाम से जाना - पहचाना जाता हूं। आगे से मुझे समस्त दस्तावेजों IMTIYAZ AHMAD SIDDIQUI के नाम से जाना जाए निवास का पता- SUPER D STAFF COLONY, MAIHAR CEMENT, SARLA NAGAR ,SONWARI MAIHAR Distt MAIHAR (M.P.) है।

नाम सुधार सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं praduman prasad dwivedi ग्राम सेमरी पोस्ट तिहाई तहसील कोटर जिला सतना का निवासी हु मेरे पुत्र आर्यन द्विवेदी (Aryan dwivedi) के विद्यालय में वर्तमान सत्र 2025 - 2026 में कक्षा 5 में अध्ययनरत है प्रवेश के समय भूल वश पिता का नाम praduman dwivedi लिख दिया गया है जबकि आर्यन द्विवेदी के पिता का सही नाम praduman prasad dwivedi है अत: आज से आर्यन द्विवेदी के पिता का नाम praduman prasad dwivedi लिखा पढ़ा व कहा जावे

कार्यालय नगर परिषद पवई, जिला पन्ना (म0प्र0)

क्रमांक / 113 / लो.नि.शा. / ई - निविदा / 2026 देवेन्द्रनगर दिनांक - 19/01/2026

ई- निविदा आमंत्रण - सूचना

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://mptenders.gov.in देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की राशि / कार्य की समयावधि	निविदा प्रपत्र मूल्य एवं EMD	निविदा क्रय करने की तिथि एवं अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2026_UAD_476827_1	Interception & Diversion of Nallahs with STP works Project of Pawai town under SBM 2.0	12 Months PAC Rs: 32640000.00	Tender Form: 15000.00 EMD:RS. 163200.00	19-01-2026 05:30PM to 24-02-2026 05:30PM

नोट- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा ।

Sub Engineer, Nagar Parishad Pawai, Distt.Panna (m.p.)

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पवई जिला - पन्ना (म0प्र0)

कार्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियरी जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

क्र./43/बालिका शिक्षा/2026 बैढ़न, दिनांक 21.1.2026

सत्र 2026-27 हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियरी के लिये आवश्यक सामग्री एवं खाद्यान्य सामग्री प्रदाय हेतु निविदा

संदर्भः- समीक्षा बैठक दिनांक 16.01.2026 में दिये गये निर्देश।

विषयान्तर्गत संदर्भित बैठक में राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार भण्डार क्रय नियम के पालन हेतु शाला प्रबंधन समिति के अनुमोदन दिनांक 21.09.2025 के उपरांत छात्रावास में बालिकाओं के उपयोग हेतु आवश्यक सामग्री एवं खाद्यान्य सामग्री के दर प्रदाय हेतु निविदा का प्रकाशन किया जाता है। आवश्यक सामग्रियों की सूची कार्यालयीन समय में छात्रावास से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्तानुसार सत्र 2026-27 में छात्रावास में सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु इच्छुक फर्म प्रदाय सामग्री एवं दर का विवरण दिनांक 10.02.2026 तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त निविदा निविदाकारो के समक्ष दिनांक 12.02.2026 को शाला प्रबंधन समिति के समक्ष खोली जावेगी। किसी भी प्रकार की विवाद के स्थिति में शाला प्रबंधन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

वार्डन: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियरी, जिला सिंगरौली म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना एवं पदेन सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग सतना

क्र.62 / भू-अर्जन / 2026 सतना,दिनांक :- 161.1.2026

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अत: भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. - एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन :- (म.प्र. शासन / निजी खाता)

(क) जिला- सतना (ख) तहसील - रामपुर बाघेलान (ग) नगर / ग्राम - तपा कोठार (घ) क्षेत्रफल - 1.1520 हे0

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नंबर	अर्जित रकवा (हे0)
1	धीरेन्द्र सिंह पिता हीरा सिंह बेलकईत सिंह तपा	200/5	0.0059
2	श्यामराज सिंह पिता रामेश्वर सिंह सा0 बगहाई	197/2	0.0317
3	इन्द्रवती पत्नी भोला सिंह सा0 बगहाई	197/7/1	0.0100
4	बीरेन्द्र सिंह पिता जयकरण सिंह बेलकईत सा0 तपा	204/1/4 203/1/5 198/1/5	0.0014 0.0040 0.0265
5	कौशल सिंह पिता जयकरण सिंह बेलकईत सा0 तपा	204/1/1 203/1/1	0.0014 0.0040
6	केशवप्रताप सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह परिहार सा0 तपा	182/2/2	0.0170
7	माया सिंह पत्नी संजय सिंह, साक्षी सिंह, शुभम सिंह पिता संजय सिंह बेलकईत सिंह तपा	200/4	0.0060
8	बिहारी सिंह पिता गया सिंह सा0 बगहाई	197/4 204/1/2	0.0317 0.0014
9	किशोर सिंह पिता जयकरण सिंह बेलकईत सा0 तपा	203/1/2 198/1/2	0.0040 0.0265
10	दिनेश सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा0 तपा	199/2/4	0.0408
11	दिनेश सिंह, भइयाबहादुर सिंह, अरूण सिंह, रमेश सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा0 तपा	203/2 198/2	0.0054 0.1211
12	विश्वनाथ सिंह पिता रामेश्वर सिंह सा0 बगहाई	197/3	0.0317
13	विजय बहादुर सिंह पिता गया सिंह सा0 बगहाई	197/5	0.0317
14	विनय सिंह पिता हीरा सिंह बेलकईत सिंह तपा	200/2	0.0059
15	विनोद पिता रामकृपाल ब्राम्हण सा0 बगहाई	197/7/2	0.0217
16	भइयाबहादुर सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा0 तपा	199/2/1	0.0409
17	रमेश कुमार पिता राजमणि ब्रा0 सा0 बगहाई	182/1/2/1	0.0600
18	भोग्गी पत्नी राजमणि ब्राम्हण सा0 बगहाई	182/1/2	0.0300
19	प्रदीप सिंह पिता गया सिंह सा0 बगहाई	197/6	0.0317
20	रंजीत सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह परिहार सा0 तपा	182/2/3	0.0170
21	रमेश सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा0 तपा	199/2/3	0.0408
22	रामनिवास सिंह पिता जयकरण सिंह बेलकईत 21 सा0 तपा	203/1/4 198/1/4	0.0040 0.0265
23	रामराज सिंह पिता रामेश्वर सिंह सा0 बगहाई	197/1 204/1/3	0.0317 0.0015
24	राजकुमारी देवा बहादुर सिंह, उपेन्द्र सिंह, भूपेन्द्रपिता बहादुर सिंह बेलकईत सा0 तपा	203/1/3 198/1/3	0.0040 0.0265
25	रेखा सिंह पत्नी छत्रपाल सिंह सा0 रामपुर बाघेलान	244/4	0.0068
26	सुखेन्द्र सिंह पिता हीरा सिंह बेलकईत सिंह तपा	200/3	0.0059
27	अरुण सिंह पिता राजभान सिंह बेलकईत सा0 तपा	19.9/2/2	0.0408
28	अंशुमान सिंह पिता सुदर्शन सिंह, गीता सिंह वेवा उदयराज सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, धीरेन्द सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह पिता उदयराज सिंह, रामप्यारी सिंह वेवा रणबहादुर सिंह, राजकुमार सिंह, लालमन सिंह, लालबिहारी सिंह, राजेन्द सिंह, बीरेन्द्र सिंह, नारेन्द्र सिंह पिता रणबहादुर सिंह, कृष्णादेवी सिंह वेवा राजबहादुर सिंह, विजय कुमार नावा0 पिता राजबहादुर सिंह बली सर0मॉ कृष्णा देवी सिंह, बृजेन्द्र सिंह पिता यादवेन्द्र सिंह, ददन सिंह पिता सूर्यबली सिंह, प्रदीप सिंह, दिलीप सिंह, राधा सिंह पिता बबन सिंह बेलकईत सा0 तपा	181/1	0.1085
29	अभय प्रताप सिंह पिता भरत प्रताप सिंह सा0 रामपुर बाघेलान	244/2	0.0130
30	अभय प्रताप सिंह पिता भरत प्रताप सिंह सा0 रामपुर बाघेलान हि0 4381 /6179 खुशबू सिंह पत्नी अमित सिंह सा0 बगहाई हि0 30 865 / 6179 सीमा सिंह पत्नी लवकुश सिंह सा0 पिथैपुर हि0 68/6179 रेखा सिंह पत्नी छत्रपाल सिंह सा0 रामपुर बाघेलान हि0 865/6179	245	0.0759
31	अभयराज सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह परिहार सा0 तपा	182/2/1	0.0170
32	अजीत सिंह पिता भोला सिंह सा0 बगहाई	197/8	0.0324
33	अनुराधा सिंह वेवा सतेन्द्र सिंह, आयुष सिंह, आशू सिंह पिता सतेन्द्र सिंह, लता ठाकुर पत्नी कौशल सिंह, सोनू सिंह पिता कौशल सिंह बेलकईत सा0 तपा	198/1/1	0.0265
34	गीता सिंह वेवा उदयराज सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह पिता उदयराज सिंह, रामप्यारी वेवा जयपाल सिंह, भैयालाल सिंह, हीरालाल सिंह पिता हरदयाल सिंह, कृष्णादेवी सिंह वेवा राजबहादुर सिंह, विजय कुमार नावा0 पिता राजबहादुर सिंह बली सर0 माँ कृष्णा देवी सिंह, प्रदीप सिंह, दिलीप सिंह, राधा सिंह पिता बबन सिंह, ददन सिंह पिता सूर्यबली सिंह बेलकईत सा0 तपा	182/1/1	0.0599
35	शासकीय	196	0.0210
	कुल योग		**1.1521**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- उपमुख्य अभियंता (निर्माण) जबलपुर (म0प्र0) द्वारा सतना रीवा बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण के निर्माण हेतु ।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. सतीश कुमार एस.)
कलेक्टर
जिला सतना (म0प्र0)
एवं पदेन उपसचिव म0प्र0 शासन राजस्व विभाग

G-24667/25